



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2009/चैत्र 23, 1931

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2009/CHAITRA 23, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 250(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में विभिन्न समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना :** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **होम गार्डों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चपरासियों के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का दायित्व :—**
इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन, सिवाय उन व्यक्तियों के जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हैं, चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि तक होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
परन्तु महासमादेशक, होमगार्ड प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के निष्पादन और मानक को ध्यान में रखते हुए ऐसी अवधि को, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं दो वर्ष तक घटा सकेगा।

6. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	--	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. चपरासी	3(2009)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	रु. लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
-----------	--	---	---------------------------------------	--------------------	----------------	--

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण

वांछनीय :

होम गार्ड, सिविल रक्षा इत्यादि में आधारित और

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण।

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती की दशा में दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

लागू नहीं होता।

1. अवर सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) —सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (सामान्य और समन्वय) —सदस्य

टिप्पण : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव को उनकी साक्षरता के निष्पादन को समुचित महत्व देते हुए अवधारित किया जाए, उनकी सिफारिश करेगी।

2. जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।

3. सीधी भर्ती के पुष्टिकरण के मामले में उपरोक्त समिति द्वारा भी विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

4. आरंभिक गठन : राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में पहले से ही कार्य करने वाले ऐसे चपरासी जो खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किए गए हैं, वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में उनकी नियुक्ति की तारीख से इन भर्ती नियमों की निबंधनानुसार सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के रूप में चपरासी नियुक्त किए गए समझे जाएंगे, जो स्तंभ 8 में यथा अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं की अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले पद के लिए अपनी उपयुक्तता के अध्यक्षीन होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. मैसैजर/ डिस्पैच राइडर	2(2009)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय।	5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर

(7)

राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष।

(i) मोटर साइकिल या तीन पहियों को चलाने के लिए वैद्य अनुज्ञप्ति रखता है।

(ii) मोटर साइकिल या तीन पहियों को चलाने में दो वर्ष का अनुभव हो।

(iii) मोटर साइकिल या तीन पहिया यांत्रिकी की जानकारी (अभ्यर्थी वाहन में छोटी गलतियों का निपटारा करने के योग्य होगा)।

(iv) अंग्रेजी और हिंदी या क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा के पढ़ने में समर्थ हो, जिसमें संबंधित कार्यालय स्थित है।

वांछनीय :

(i) आठवीं स्तर में उत्तीर्ण।

(ii) होम गार्ड या सिविल सेवकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

टिप्पण 1 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा।**भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन**

सीधी भर्ती—राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के ऐसे नियमित चपरासियों में से, अनुसूची के स्तंभ 8 में विहित आवश्यक अर्हता को पूरा करने के अधीन रहते हुए सीधी भर्ती द्वारा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो अनुसूची के स्तंभ 8 में विहित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पद के लिए अन्यथा पात्र हैं, पर भी पुनर्नियोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(13)

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

1. अवर सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) —सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (सामान्य और समन्वय) —सदस्य

टिप्पण : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव को उनकी साक्षरता के निष्पादन को समुचित महत्व देते हुए अवधारित किया जाए, उनकी सिफारिश करेगी।

2. जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।
3. सीधी भर्ती के पुष्टिकरण के मामले में उपरोक्त समिति द्वारा भी विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।
4. आरंभिक गठन : राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में पहले से ही कार्य करने वाले ऐसे चपरासी जो खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किए गए हैं, वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में उनकी नियुक्ति की तारीख से इन भर्ती नियमों की निबंधनानुसार सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के रूप में चपरासी नियुक्त किए गए समझे जाएंगे, जो स्तंभ 8 में यथाअधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं की अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले पद के लिए अपनी उपयुक्तता के अध्यधीन होंगे।

(14)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हिंदी लिपिक	1(2009)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अननुसचिवीय	5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(8)		(9)		(10)	
	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।	

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

(12)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी;

(ग) जिन्होंने मूल संगठन में नियमित आधार पर 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के वेतनमान में अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य का पद धारण किया हुआ है;

(ii) जिनकी टंकण गति (हिंदी में) 30 शब्द प्रति मिनट है;

(iii) जो कम्प्यूटर कार्य करने का आधारिक ज्ञान रखते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिन्हें यथाविहित हिंदी टंकण का ज्ञान है और आधारित कम्प्यूटर

(12)

की जानकारी रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों पर भी जो पद के लिए अन्यथा पात्र हैं, पुनर्नियोजन के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष की और अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

1. निदेशक, (प्रशासन और समन्वय) —अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य
3. अवर सचिव (सामान्य और समन्वय) —सदस्य

टिप्पण : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव के लिए उनकी साक्षरता के निष्पादन को ऐसा समुचित महत्व देते हुए जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए, अपनी सिफारिश करेगी।

2. जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. खजांची	1(2009)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अननुसचिवीय	5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
-----------	--	---	---	----------------	----------------

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
----------------	----------------	----------------	----------------

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

(12)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदाधिकारियों में से-

- (क) (i) जो मूल संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल संगठन में 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के वेतनमान पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य

(12)

(ख) (i) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध (आइ.एस.टी.एम.) संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण लिया है या समतुल्य

(ii) रोकड़ या लेखा संचालन में तीन वर्ष का अनुभव रखता है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष की और अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।

टिप्पण 2-प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

1. निदेशक (प्रशासन और समन्वय) —अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य
3. अवर सचिव (सामान्य और समन्वय) —सदस्य

टिप्पण : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव को उनकी साक्षरता के निष्पादन को समुचित महत्व देते हुए अवधारित किया जाए, उनकी सिफारिश करेगी।

2. जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. भंडारी	1(2009)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अननुसचिवीय	9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रतिनियुक्ति द्वारा

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के नियमित कर्मचारियों में से, जिसके न हो सकने पर अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठनों के पदाधिकारियों में से:

(क) (i) जो मूल संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संगठन में 5200-20200रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू. के वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर कम से कम पांच वर्ष सेवा की है या समतुल्य और

(ख) (i) भंडार संचालन में अनुभव रखता हो

(ii) कम्प्यूटर में कार्य करने की आधारिक जानकारी रखता है।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष की और अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।

टिप्पण 2-प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
------	------

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

लागू नहीं होता।

- निदेशक (प्रशासन और समन्वय) —अध्यक्ष
- अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य
- अवर सचिव (सामान्य और समन्वय) —सदस्य

टिप्पण : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव को उनकी साक्षरता के निष्पादन को समुचित महत्व देते हुए अवधारित किया जाए, उनकी सिफारिश करेगी।

2. जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. तकनिशियन (संचार)	1(2009)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे पदाधिकारियों में से:</p> <p>(क) (i) जो मूल संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संगठन में 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान के पद पर कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; और</p> <p>(ख) आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है जो निम्नलिखित है—</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं:</p> <p>(क) आवश्यक: किसी मान्ताप्राप्त संस्था से इलैक्ट्रानिक्स या दूरसंचार में डिप्लोमा या समतुल्य ;</p> <p>(ख) वांछनीय: सी.सी.एन.ए. (सिसको सर्टीफाइड नेटवर्क एसोसिएट) अर्हता।</p> <p>अनुभव: संचार और नेटवर्किंग के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अधीन रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या पुलिस बेतार और संचार या दूरसंचार में प्रबंध और नियंत्रण नेटवर्क भी सम्मिलित है।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष की और अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(13)

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा :

1. निदेशक (प्रशासन और समन्वय) —अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य
3. अवर सचिव (सामान्य और समन्वय) —सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव को उनकी साक्षरता के निष्पादन को समुचित महत्व देते हुए अवधारित किया जाए, उनकी सिफारिश करेगी।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. तकनिशियन (सूचना और प्रौद्योगिकी)	2*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	9300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए :
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।

(12)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे पदाधिकारियों में से :

- (क) (i) जो मूल संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
- (ii) जिन्होंने मूल संगठन में 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान के पद पर कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; और
- (ख) आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है जो निम्नलिखित है :

शैक्षिक अर्हताएं:

किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य।

अनुभव:

(क) आवश्यक:

कम्प्यूटर हार्डवेयर या साफ्टवेयर में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस बेतार और संचार या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी में जिसमें

(11)

(12)

दिनचर्या गड़बड़ी दूर करने वाला और जो लैन या वैन प्रशासक भी सम्मिलित है।

(ख) वांछनीय:

सूचना सुरक्षा और डाटाबेस और प्रबंध का एक्सपोजर करना।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष की और अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

भर्ती चयन समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

लागू नहीं होता।

1. निदेशक (प्रशासन और समन्वय) —अध्यक्ष
2. संयुक्त सलाहकार (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) —सदस्य
3. सहायक सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी) —सदस्य

टिप्पण 1 : चयन समिति अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव को उनकी साक्षरता के निष्पादन को समुचित महत्व देते हुए अवधारित किया जाए, उनकी सिफारिश करेगी।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त किए गए आवेदन अधिक संख्या में हैं तो चयन समिति के द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की छंटनी करने का अधिकार सुरक्षित है।

[फा. सं. 44-19/2006-एनडीएम-III (ए)/IV]

प्रोमिला सेनगुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2009

G.S.R. 250(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various Group 'C' posts in the National Disaster Management Authority, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Disaster Management Authority, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed thereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards.**—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a Peon under these rules excepting those who are physically handicapped shall undergo training as a Home Guard for a period of three years.

Provided that the Commandant General, Home Guards, may having regard to the performance of and standard of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Peon	3(2009)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Rs. 5,200-20,200 Plus Grade Pay Rs. 1,800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of General candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division, of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep

(7)

Note 2 : In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(8)

(9)

(10)

Essential :

Middle School Standard Pass

Not applicable

Two years for direct recruits

Desirable :

Training in 'Basic' and 'Refresher' course in Home Guard, Civil Defence, etc.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

By direct recruitment.

Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of Selection Committee consisting of :

Not applicable.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Under Secretary (Admn.) | —Chairman |
| 2. SO (Admn.) | —Member |
| 3. SO (General and Coord.) | —Member |

Notes :

(1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates as well as to their performance in the interview.

(2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(3) The cases of confirmation of direct recruits shall also be considered by the above Committee. The recommendations of the Committee shall be put up to the competent authority for approval.

(8)

- (ii) Two years' experience in driving Motor Cycle or Three Wheelers.
- (iii) Knowledge of Motor Cycles or Three Wheelers mechanism. (The candidate should be able to resolve minor defects in the vehicles).
- (iv) Ability to read English and Hindi or Regional language of the area in which the concerned office is situated.

Desirable :

- (i) Pass in the 8th standard.
- (ii) 3 years' service as Home Guard or Civil Volunteers.

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(11)

By direct recruitment.

For Ex-Servicemen : Deputation or re-employment.

(12)

Direct recruitment—From amongst the regular Peons of the National Disaster Management Authority subject to their fulfilling the essential qualifications prescribed in Col. 8 of the Schedule.

For Ex-Servicemen : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and fulfilling the essential qualifications prescribed in Col. 8 of the Schedule shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The ex-servicemen, who are otherwise eligible for the post, will be considered for re-employment.

(13)

Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of :

- 1. Under Secretary (Admn.) —Chairman
- 2. SO (Admn.) —Member
- 3. SO (General and Coord.) —Member

Notes :

- (1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates as well as to their performance in the interview.
- (2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.
- (3) The cases of confirmation of direct recruits shall also be considered by the above Committee. The recommendations of the Committee shall be put up to the competent authority for approval.
- (4) **Initial Constitution :** Messengers/Despatch Riders already working in the National Disaster Management Authority, having been recruited through an open advertisement, will deem to have

(14)

Not applicable

(13)

been appointed as Messengers/Despatch Riders as direct recruits in terms of these recruitment rules from the date of their joining the National Disaster Management Authority, subject to their suitability for the post being assessed by the Selection Committee, with reference to the requirements of educational and other qualifications, as laid down in Column 8.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Hindi Typist	One (2009)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Ministerial	Rs. 5,200-20,200 Plus Grade Pay Rs. 1,900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By deputation.	Deputation —From amongst the officials of the Central Government—

For Ex-Servicemen : Deputation or re-employment.

(i) holding the post of Lower Division Clerk or equivalent in the scale of pay of Rs. 5200&20200 plus Grade Pay Rs. 1900 on regular basis in the parent organization;

(ii) having typing speed (in Hindi) of 30 words per minute;

(iii) having basic knowledge to work on computer.

For Ex-Servicemen : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and knowing Hindi typing and having basic computer knowledge as prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The ex-servicemen, who are otherwise eligible for the post, will be considered for re-employment.

Notes :

(1) The period of deputation will ordinarily be three years, which may be extended further upto a maximum period of two years with the approval of the Competent Authority.

(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 58 years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)	(14)
Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of Selection Committee consisting of :	Not applicable
1. Director (Admn. and Coord.)	—Chairman
2. Under Secretary (Admn.)	—Member
3. Under Secretary (General and Coord.)	—Member

Notes :

(1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the

(13)

educational qualifications and experience and computer knowledge of the candidates their service record as well as to their performance in the interview.

(2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Cashier	One (2009)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Ministerial.	Rs. 5,200-20,200 Plus Grade Pay Rs. 2,400	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	(8)		(9)			(10)
	Not applicable		Not applicable			Not applicable
	(11)				(12)	

By deputation

From amongst the official of the Central Government :—

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent organisation;

or

(ii) having at least eight years of regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 5,200-20,200 plus Grade Pay Rs. 1,900 or equivalent in the parent organisation.

and

(b) (i) having undergone training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or equivalent.

(ii) having three years experience in handling Cash and Accounts.

For Ex-Servicemen : Deputation or re-employment.

For Ex-Servicemen : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having undergone training and possessing experience as prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The ex-servicemen, who are otherwise eligible for the post, will be considered for re-employment.

Notes :

(1) The period of deputation will ordinarily be three years, which may be extended further upto a maximum period of two years with the approval of the Competent Authority.

(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 58 years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of Selection Committee consisting of :—

Not applicable.

1. Director (Admn. and Coord.) —Chairman
2. Under Secretary (Admn.) —Member
3. Under Secretary (General and Coord.) —Member

Notes :

(1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and computer knowledge of the candidates their service record as well as to their performance in the interview.

(2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Store Keeper	One* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Ministerial.	Rs. 9,300-34,800- Plus Grade Pay Rs. 4,200.		Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By deputation	From amongst the regular employees of the National Disaster Management Authority, failing which from amongst the officials of the other Central Government organisations:— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent organisation; Or (ii) having atleast five years of regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 5,200-20,200+Grade Pay Rs. 2,400 or equivalent in the parent organisation; and (b) (i) having experience in handling Stores; (ii) having basic knowledge to work on computer.
For Ex-Servicemen: Deputation or re-employment.	For Ex-Servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having experience in handling stores and basic computer knowledge as prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The ex-servicemen, who are otherwise eligible for the post, will be considered for re-employment.

(12)

Notes:

(1) The period of deputation will ordinarily be three years, which may be extended further upto a maximum period of two years with the approval of the Competent Authority.

(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 58 years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of Selection Committee consisting of :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Director (Admn. and Coord.) | —Chairman |
| 2. Under Secretary (Admn.) | —Member |
| 3. Under Secretary (General and Coord.) | —Member |

Notes:

(1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interview with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience in handling of stores and computer knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

(2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(14)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Technician (Communi- cations)	One* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Ministerial	Rs. 9,300—34,800- Plus Grade Pay Rs. 4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	

(11)

By deputation

(12)

From amongst the officials of the Central Government or State Governments/Union Territories :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent organisation;

or

(ii) having atleast five years of regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 5,200-20,200+Grade Pay Rs. 2,400 or equivalent in the parent organisation;

and

(b) possessing the essential educational qualifications and experience as given below :-

Educational Qualifications :(a) **Essential:**

Diploma in Electronics or Telecommunications from a recognised Institution or equivalent :

(11)

(12)

(b) Desirable :

CCNA (Cisco Certified Network Associate) Qualified.

Experience :

Three years experience in the field of Communications and Networking including Network Management and Control in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireles and Communications or Telecommunications.

For Ex-Servicemen:

Deputation or re-employment.

For Ex-Servicemen:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and Possessing the essential educational qualifications and experience prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The ex-servicemen, who are otherwise eligible for the post, will be considered for re-employment.

Notes:

(1) The period of deputation will ordinarily be three years, which may be extended further upto a maximum period of two years with the approval of the Competent Authority.

(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 58 years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of Selection Committee consisting of :

Not applicable.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Director (Admn. and Coord.) | —Chairman |
| 2. Joint Advisor (Communication and IT) | —Member |
| 3. Assistant Advisor (Communications) | —Member |

Notes:

(1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interview with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and computer knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

(2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Technician Two (2009)* (Information Technology) variation dependent on workload.		General Central Service, (Group 'C') Non-Ministerial	Rs. 9,300—34,800- Plus Grade Pay Rs. 4,200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(11)

(12)

By deputation

From amongst the officials of the Central Government or State Governments/Union Territories :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent organisation;

Or

(ii) having atleast five years of regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 5,200-20,200+Grade Pay Rs. 2,400 or equivalent in the parent organisation;

and

(11)

(12)

For Ex-Servicemen:
Deputation or re-employment

(b) possessing educational qualifications and essential experience as given below :-

Educational Qualifications :

Diploma in Computer Science or Information Technology from a recognised Institution or equivalent:

Experience :

(a) Essential:

Three years experience in Computer Hardware or Software including routine trouble-shooting and as a LAN or WAN administrator in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications or Information Technology.

(b) Desirable:

Exposure to Information Security and Database Management.

For Ex-Servicemen:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year possessing the educational qualifications and essential experience as prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The ex-servicemen, who are otherwise eligible for the post, will be considered for re-employment.

Notes:

(1) The period of deputation will ordinarily be three years, which may be extended further upto a maximum period of two years with the approval of the Competent Authority.

(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 58 years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Recruitment will be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of :

Not applicable.

- 1. Director (Admn. and Coord.) —Chairman
- 2. Joint Advisor (Communication and IT) —Member
- 3. Assistant Advisor (IT) ---Member

Notes :

(1) The Selection Committee shall make its recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and computer knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

(2) When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

[F. No. 44-19/2006-NDM-III(A)/IV]

PROMILA SENGUPTA, Under Secy.